

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बावा सिंह बनाम राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए नम्बर, 136 एलआरएक्ट 269 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/381

मिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

08.2025 वादी बावा सिंह पुत्र खजान सिंह जाति बावरी निवासी 41 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान दास ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादगत भूमि के संबंध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.08.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं मदन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

25/8/25 वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट
FOR KPR प्राप्त नहीं। पत्रावली
वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक
17/9/25 को पेश हो।

17/9/25 अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली
वास्ते पूर्व आदेशिका अनुसार
दिनांक 14/10/25 को पेश हो।

14/10/25 वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी
अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत
धारा 88 RTA, 136 LR Act Not Press
किया। वादी अधिवक्ता को सुना
गया व पत्रावली का अवलोकन
किया गया। लिहाजा वादी द्वारा
वादपत्र नोटप्रेस करने पर सरकार
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली विणीत होकर शुम्बर से कम
लिफ्टर वास्ते दफ्तर हो।

प्राप्त नोटप्रेस किया
गया।
14/10/2025

सहायक कलक्टर एवं मदन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

